रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73 REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15, 1986/फाल्गुन 24, 1907
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15, 1986/PHALGUNA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1986

का. नि. आ. 100 :– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत और यांत्रिकी इंजीनियर कोर (औद्योगिक) भर्ती नियम 1982 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत और यांत्रिकी इंजीनियर कोर (औद्योगिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत और यांत्रिकी इंजीनियर (औद्योगिक) भर्ती नियम, 1982 की अनुसूची में –

(1) क्रम संख्यांक 1 से 11 के सामने, स्तंभ 8 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :–

अनिवार्य : समुचित संबंधित क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या समतुल्य

वांछनीय : समुचित/संबंधित व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव,

(ii) क्रम संख्यांक 12 से 38 के सामने, स्तंभ 8 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :–

अनिवार्य : समुचित संबंधित क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से प्रमाण–पत्र या समतुल्य।

वांछनीय : समुचित संबंधित व्यवसाय में 2 वर्ष का अनुभव,

(iii) क्रम संख्यांक 39,41,43,44 और 47 के सामने, स्तंभ 8 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :–

अनिवार्य : समुचित संबंधित क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण–पत्र या समतुल्य।

(iv) क्रम संख्यांक 40,42,45,46,48,49 और 50 के सामने, स्तंभ 4,5 और 8 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–
स्तंभ 4 :

"रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह "ग", अराजपत्रित औद्योगिक ।,"

स्तंभ 5 :

"260-6-290- द. रो.-6-326-8-366- द. रो.-8- 390- 10- 400 रु०,"

स्तंभ 8 :

"अनिवार्य : समुचित संबंधित क्षेत्र या व्यवसाय में किसी मान्यता-प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण-पत्र या समतुल्य ।

वांछनीय : समुचित संबंधित व्यवसाय में 2 वर्ष का अनुभव ।",

(v) क्रम संख्यांक 40,42,45,46,48,49 और 50 के सामने, स्तंभ 12 के नीचे "प्रोन्नति" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :- "उसी व्यवसाय के ऐसे व्यवसायी मेट जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ लिए गए विभागीय परीक्षण के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है,"

(vi) क्रम संख्यांक 40,42,45,46,48,49 और 50 के सामने, स्तंभ 13 के नीचे "समूह 'घ' " शब्द और अक्षर के स्थान पर 'समूह "ग" ' शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[बी/03391/पी.सी. 2/ई. एम. ई/सिव-2/ डी (नियुक्ति)],
एम. सी. जुनेजा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 4 तारीख 25 सितम्बर 1982 में, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 233 तारीख 7 सितम्बर, 1982 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th February, 1986

S.R.O. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Corps of Electrical and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Rules, 1982, namely :—

1. (1) These rules may be called the Corps of Electrical and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Corps of Electrical and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Rules, 1982—

(i) against serial numbers 1 to 11, for the entries under column 8 the following entries shall be substituted, namely—

"Essential.—A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate|akin field or trade.

Desirable.—3 years' experience in the appropriate|akin trade.";

(ii) against serial numbers 12 to 38, for the entries under column 8 the following entries shall be substituted, namely :—

"Essential.—A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate|akin field or trade.

Desirable.—2 years' experience in the appropriate/akin trade.";

(iii) against serial numbers 39, 41, 43, 44 and 47, for the entries under column 8 the following entries shall be substituted, namely :—

"Essential.—A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate|akin field or trade.";

(iv) against serial numbers 40, 42, 45, 46, 48, 49 and 50, for the entries under columns 4, 5 and 8 the following entries shall respectively be substituted, namely :—

Column 4

"Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Industrial.";

Column 5 :

"Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400";

Column 8 :

"Essential.—A certificate from a recognised Industrial Training Institute or equivalent in the appropriate|akin field or trade.

Desirable.—2 years' experience in the appropriate|akin trade.";

(v) against serial numbers 40, 42, 45, 46, 48, 49 and 50, for the entry under column 12 under the heading 'Promotion' the following entry shall be substituted, namely :—

"Tradesmen mates of same trade with 3 years' regular service in the grade on the basis of a departmental test held for this purpose.";

(vi) against serial numbers 40, 42, 45, 46, 48, 49 and 50 under column 13, for the word and letter "Group 'D'" the following word and letter "Group 'C'" shall be substituted.

[B/03391/PC-2/EME CIV-2/D(Appts)]
M. C. JUNEJA, Under Secy.

NOTE.—The Principal rules were notified in the Gazette of India, Part II, Section 4 dated the 25th September, 1982, vide Notification Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 233 dated the 7th September, 1982.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1986

का. नि. आ. 101.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ मध्य कमान द्वारा श्री कुनाल शर्मा अधिशासी मैजिस्ट्रेट का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप छावनी बोर्ड झांसी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल संख्या 19/2/झांसी/सी०/सी/भू. व छा./86/672/डी(क्यू. एंड सी./86)

New Delhi, the 14th February, 1986

S.R.O. 101.—In pursuance of sub-section (7) of section (13) of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Jhansi by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief Central Command of the resignation of Shri Kunal Sharma Executive Magistrate.

[F. No. 19/2/Jhansi/Const/C|L&C|86|672|D(Q&C)|86]

का. नि. आ. 102.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट, झांसी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. अग्रवाल अधिशासी मैजिस्ट्रेट को छावनी बोर्ड, झांसी का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन श्री कुनाल शर्मा अधिशासी मैजिस्ट्रेट के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फाइल संख्या 19/2/झांसी/सी/भू. व. छा./86/672/डी (क्यू.एंड सी)/86]

S.R.O. 102.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri P. K. Agarwal Executive Magistrate has been nominated as a member of the Cantonment Board Jhansi, by the District Magistrate Jhansi, in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (3) of section 13 of that Act vice Shri Kunal Sharma, Executive Magistrate, whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/2/Jhansi/Const/C|L&C|86|672|D|(Q&C)|86]

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1986

का. नि. आ. 103.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग –इन–चीफ मध्य कमान, द्वारा मेजर जसवन्त सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बरेली में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल संख्या 19/17/सी/भू. व छा./65/788/डी (क्यू. एंड सी)]

New Delhi, the 25th February, 1986

S.R.O. 103.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Bareilly by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief Central Command of the resignation of Major Jaswant Singh.

[F. No. 19|17|C|L&C|65|788|D(Q&C)]

का. नि. आ. 104.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा कैप्टन एम. आर. जसवाल को छावनी बोर्ड, बरेली का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन मेजर जसवन्त सिंह के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

फाइल संख्या–19/17/सी/भू. व छा./651/788/डी (क्यू. एंड सी.)]

S.R.O. 104.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Capt. M. R. Jaswal has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Bareilly vice Major Jaswant Singh who has resigned.

[F. No. 19|17|C|L&C|65|788|D|(Q&C)]

का. नि. आ. 105:– छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि भारत जनरल आफिसर कमांडिंग इन–चीफ मध्य कमान द्वारा श्री ईश्वर विश्वनाथ अधिशासी मैजिस्ट्रेट का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप छावनी बोर्ड, बरेली में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल संख्या 19/17/सी/भू. व छा./65/788/ डी (क्यू. एंड सी.)]

S.R.O. 105.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Bareilly, by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief Central Command, of the resignation of Shri Ishwara Vishwa Nath Executive Magistrate.

[F. No. 19|17|C|L&C|65|788|D(Q&C)]

का. नि. आ. 106:– छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मैजिस्ट्रेट बरेली ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पी. एस. गोसाईं अधिशासी मैजिस्ट्रेट को छावनी बोर्ड, बरेली का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन श्री ईश्वर विश्वनाथ अधिशासी मैजिस्ट्रेट के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फाइल संख्या 19/17/सी/ भू. व छा./65/788/डी (क्यू. एंड सी.)]

S.R.O. 106.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri P. S. Gusain Executive Magistrate, has been nominated as a member of the Cantonment Board Bareilly by the District Magistrate Bareilly in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (3) of section 13 of that Act vice Shri Ishwara Vishwa Nath Executive Magistrate, whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/17/C/L&C/65/788|D(Q&C)]

का. नि. आ. 107:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग –इन–चीफ मध्य कमान, द्वारा मेजर एन. के. सपरा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, रानीखेत में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल संख्या 19/53/सी/भू. व छा./ 78/791/डी (क्यू. एंड सी.)]

S.R.O. 107.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Ranikhet by reason of the acceptance by the General Office Commanding-in-Chief Central Command of the resignation of Major N. K. Sapra.

[F. No. 19|53|C|L&C|78|791|D(Q&C)]

का. नि. आ. 108:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा मेजर भारद्वाज योगेश को छावनी बोर्ड, रानीखेत का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन मेजर एन. के. सपरा के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

[फाइल संख्या 19/53/सी/भू. व छा./78/791/डी (क्यू. एंड सी.)]

S.R.O. 108.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major Bharadwaj Yogesh has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Ranikhet vice Major N. K. Sapra who has resigned.

[F. No. 19|53|C|L&C|78|791|D(Q&C)]

का. नि. आ. 109:– छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग–इन–चीफ

मध्य कमान द्वारा कुमारी वृन्दा स्वरूप अधिशासी मैजिस्ट्रेट का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप छावनी बोर्ड, रानीखेत में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फाइल संख्या 19/53/सी/भू. व छा./78/791/ डी (क्यू. एंड सी.)]

S.R.O. 109.— In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Ranikhet, by reason of the acceptance by the Gentral Office Commanding-in-Chief, Central Command of the resignation of Kumari Vrinda Swaroop.

[F. No. 19/53/C/L&C/78|191|D(Q&C)]

का. नि. आ. 110 :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मैजिस्ट्रेट श्री अनुप मिश्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुशील कुमार अधिशासी मैजिस्ट्रेट को छावनी बोर्ड, रानीखेत का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कुमारी वृन्दा-स्वरूप अधिशासी मैजिस्ट्रेट के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फाइल संख्या 19/53/सी/भू. व छा./78/791/डी (क्यू. एंड सी.)]

S.R.O. 110.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri Sushil Kumar Executive Magistrate has been nominated as a member of the Cantonment Board, Ranikhet by the District Magistrate Ranikhet in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (3) of section 13 of that Act vice Kumari Vrinda Swaroop Executive Magistrate, whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/53/C/L&C/78|791|D(Q&C)]

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1986

का. नि. आ. 111 :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा निम्नलिखित सैनिक अधिकारियों को छावनी बोर्ड आगरा का सदस्य मनोनीत किया है :-

1. ले. कर्नल पी. कुरूप
2. मेजर बी. एस. भार्गव
3. ले. कर्नल आर. एन. सिंह

[फाइल संख्या 29/1/आगरा/सी/भू.व छा./85/871/डी (क्यू.एंड सी.)]

New Delhi, the 26th February, 1986

S.R.O. 111.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that the following Military Officers have been nominated by the Officer Commanding the Station, as members of Cantonment Board, Agra :—

1. Lt Col P. Kurup
2. Major B. S. Bhargava
3. Lt Col R. N. Singh

[F. No. 29/1/Agra/C/L&C/85|871 D(Q&C)]

का. नि. आ. 112:— छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मैजिस्ट्रेट, आगरा ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (3) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शशी शेखर सिंह अधिशासी मैजिस्ट्रेट को छावनी बोर्ड, आगरा का सदस्य मनोनीत किया है।

[फाईल संख्या 29/1/आगरा/सी./भू. व छा. /85/871/डी. (क्यू एंड सी)]

S.R.O. 112.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Shri Shashi Shekhar Singh Executive Magistrate, has been nominated as a member of the Cantonment Board, Agra, by District Magistrate, Agra in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (3) of section 13 of that Act.

[F. No. 29|1|Agra|C|L&C|85|871|D(Q&C)]

का. नि. आ. 113 :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नीरू सिंह अधिशासी मजिस्ट्रेट को छावनी बोर्ड, दिल्ली का सदस्य मनोनीत किया गया है।

[फाईल सं. 29/21/दिल्ली/भू. तथा छा./85/870/डी० (क्यू एण्ड सी.)]

S.R.O. 113.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Smt. Neeru Singh Sub-Divisional Magistrate, New Delhi has been nominated as a member of the Cantonment Board, Delhi by the District Magistrate, Delhi in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (3) of Section 13 of that Act.

[File No. 29|21|Delhi|C|L&C|85|870|D(Q&C)|86]

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1986

का. नि. आ. 114 :—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 94-क की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहत है, उक्त अधिनियम की धारा 280 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभ व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

2. किसी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारुप की बाबत किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट साठ दिन की अवधि के भीतर प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारंट निष्पादन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "स्थावर सम्पति" से वह अभिप्रेत है जो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) में परिभाषित है।

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वह अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. विक्रय-कार्यवाही का प्रारम्भ:— जहां अधिनियम की धारा 94-क के अधीन किसी आदेश द्वारा कोई स्थावर सम्पति कुर्क की गई है, वहां कार्यपालक अधिकारी, कुर्की की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर, विक्रय द्वारा, इस प्रकार कुर्क की गई स्थावर सम्पत्ति के व्ययन के लिए कार्यवाही करेगा।

4. लोक नीलामी द्वारा विक्रय करना:—कुर्क की गई स्थावर सम्पति या उसके पर्याप्त भाग (यदि वह विभाज्य है) यदि उसे सुविधापूर्वक पृथक किया जा सकता है, का प्रत्येक विक्रय कार्यपालक अधिकारी के आदेश से लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा। किसी स्थावर सम्पत्ति को सुविधापूर्वक पृथक किया जा सकता है या नहीं, इसका विनिश्चय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से कार्यपालक अधिकारी करेगा।

5. विक्रय की सूचना:—(1) इन नियमों के अधीन लोक नीलामी द्वारा प्रत्येक आशयित विक्रय की सूचना, विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य को ध्यान में रखते हुए और जितनी भी बार कार्यपालक अधिकारी निदेश दे, ऐसे रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र में, जो स्थानीय क्षेत्रों में परिपालन में हो, प्रकाशित की जाएगी।

(2) सूचना में विक्रय की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा और इसमें सम्पत्ति का विवरण और विशिष्टियां होंगी।

6. विक्रय की शर्तें:—कार्य-पालक अधिकारी, एक आरक्षित बोली नियत करेगा, जो विक्रय से पूर्व या विक्रय के समय पर उसके पश्चात् किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी। प्रत्येक विक्रय ऐसी शर्तों पर विनियमित किया जाएगा जो साधारणतः प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होगी। उससे होने वाला कोई विचलन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा और निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जाएगा। सूचना और प्ररूप। में विनिर्दिष्ट विक्रय की शर्तों की एक प्रति सम्पत्ति के सहजदृश्य भाग पर और छावनी बोर्ड के कार्यालय के सहजदृश्य भाग पर और जहां सम्पत्ति ऐसी भूमि है जिस पर सरकार को राजस्व दिया जा रहा है वहां उस जिले के कलक्टर के कार्यालय में भी, जहां भूमि स्थित है और ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें बोर्ड निर्दिष्ट करे, लगाई जाएगी।

7. विक्रय की मुल्तवी— यदि कोई बोली नहीं होती है या सबसे ऊंची बोली आरक्षित कीमत से कम होती है तो कार्यपालक अधिकारी विक्रय को मुल्तवी कर देगा।

8. निक्षेप तत्काल किया जाएगा:— यदि निक्षिप्त की जाने वाली रकम तुरन्त संदत्त नहीं की जाती है या कार्यपालक अधिकारी के पास निक्षिप्त नहीं की जाती है तो उस व्यक्ति की बोली, जिसे अन्यथा क्रेता घोषित किया जाता नामंजूर कर दी जाएगी और सम्पत्ति को तुरन्त विक्रय के लिए फिर रखा जाएगा।

9. बोली आरक्षित कीमत से कम होने पर कम स्वीकृत की जा सके सकता है, कार्यपालक अधिकारी, उसके लिए जो, कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसी बोली को स्वीकार कर सकेगा, जो आरक्षित कीमत से कम है।

10. विक्रय के आगम का उपयोजन कार्यपालक अधिकारी के विक्रय के आगम या उसके किसी भाग का उपयोजन वहां करेगा जहां देय राशि के उन्मोचन और वसूली के खर्चे के लिए अपेक्षित होगी। विक्रय और स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के लिए फीस, यदि कोई हो, को भी वसूली के खर्चे में सम्मिलित किया जाएगा।

11. अधिशेष रकम किस प्रकार वापस की जाएगी:— अधिशेष रकम यदि कोई हो, तत्काल छावनी निधि में जमा की जाएगी और उसका विक्रय की तारीख से छह मास के भीतर कार्यपालक अधिकारी को लिखित आवेदन देकर दावा किया जाए और उसका प्रतिदाय उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके कब्जे में कुर्की के समय सम्पत्ति होगी और ऐसी अधिशेष रकम जिसका दावा पूर्वोक्त छह मास के भीतर नहीं किया जाएगा, बोर्ड की सम्पत्ति हो जाएगी।

12. वारंट का निलम्बन:—कार्यपालक अधिकारी वारंट को उस दशा में निलम्बित या रद्द कर सकेगा, जहां उसका यह समाधान हो गया है ऐसा निलम्बन मामले की परिस्थितियों द्वारा आवश्यक है या जहां देय राशि और अधिनियम की धारा 94क (4) में विहित वसूली के खर्चे व्यतिक्रमी द्वारा संदत्त कर दिए गए हैं।

13. विक्रय की गई सम्पत्ति से बेदखली— कार्यपालक अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अधिनियम की धारा 94क की उपधारा (5) के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई में बाधा डालता है, स्थावर सम्पति से बेदखल करा सकेगा और ऐसे बल का भी प्रयोग कर सकेगा जो उक्त सम्पति में प्रवेश करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

14. फीस प्रभारित करना:—जारी किए गए प्रत्येक वारंट या की गई कुर्की के लिए फीस, ऐसी दरों से, जो 500 रु. से कम और 1000 रु. से अधिक नहीं होगी, जिसे बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रभारित की जाएगी और ऐसी फीस को वसूली के के खर्चे में सम्मिलित किया जाएगा।

15. फीस से माफी— बोर्ड स्वविवेकानुसार नियम 14 के अधीन प्रभार्य सम्पूर्ण फीस या उसके भाग को माफ कर सकेगा।

16. सम्पति पर दावा प्रस्तुत करने की रीति— किसी कर का संदाय करने के दायित्वाधीन किसी व्यक्ति से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका कुर्क की गई सम्पति की बाबत कोई दावा है, कार्यपालक अधिकारी को लिखित में दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

17. निष्पादन का निलम्बन—कार्यपालक अधिकारी, दावा प्राप्त होने पर, दावे की जांच होने तक वारंट का निष्पादन निलंबित कर देगा।

18. निपटारा की रीति:—(1) कार्यपालक अधिकारी, किसी कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति को, दावे की एक प्रति देगा और उसे उसी समय एक लिखित सूचना देगा, जिसमें उससे अपना उत्तर, यदि कोई है, ऐसी सूचना के तामील होने के सात दिन के भीतर देने की अपेक्षा करेगा।

(2) कार्यपालक अधिकारी, उत्तर, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर, और दोनों पक्षकारों का सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, दावे के संबंध में आदेश पारित करेगा जो अन्तिम होगा।

(3) सुनवाई के समय, पक्षकार स्वयं या काउन्सेल के माध्यम से व्यपदेशन कर सकेगा।

(4) यदि दावा, कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुज्ञात दिया जाता है, तो विक्रय की कार्यवाही उसके द्वारा पारित आदेश के अधीन रहते हुए होगी, परन्तु कार्यपालक अधिकारी, स्वविवेकानुसार, विक्रय की कार्यवाही को बजाय सम्पत्ति को कुर्की से निर्मुक्त कर सकेगा।

(5) यदि कार्यपालक अधिकारी दावे को नामंजूर कर देता है तो वह अधिनियम में और इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की कार्यवाही करेगा।

(6) कार्यपालक अधिकारी के किसी दावे को स्वीकार करने वाले आदेश में किसी बात से, कुर्क की गई स्थावर सम्पत्ति में दावेदार को कोई अधिकार, हक या हित प्रदान किया गया नहीं समझा जाएगा।

प्ररूप सं. 1

स्थावर सम्पति के विक्रय की शर्तें

1. सम्पत्ति विक्रय के लिए ऐसी राशि पर रखी जाएगी जो कार्यपालक अधिकारी विक्रय के समय नियत करे। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति क्रेता होगा। यदि सम्पत्ति के लिए अन्तिम या सबसे ऊंची बोली के विषय

में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी पहली बोली फिर लगाई जाएगी और उसका फिर विक्रय किया जाएगा ।

2. कोई भी व्यक्ति किसी बोली पर उतनी राशि से कम का अग्रिम नहीं देगा जितनी कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियत की जाए या बोली वापस नहीं लेगा ।

3. विक्रय ऐसी आरक्षित बोली के अधीन रहते हुए होगा जो कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी।

4. क्रेता, विक्रय के समय, अपनी बोली के लिए बोली-पत्र पर अपना नाम और पता लिखेगा और ऐसे पते पर क्रेता के लिए छोड़ी गई सभी लिखित सूचनाएं तथा संसूचनाएं उसे सम्यक् रूप से परिदत्त और तामील की गई समझी जाएंगी, जब तक कि उसका प्रतिनिधित्व किसी अटर्नी या अधिवक्ता द्वारा न किया गया हो।

5. क्रेता, विक्रय के समय, अपने विक्रय धन की रकम पर पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप कार्यपालक अधिकारी को संदाय करेगा अन्यथा सम्पत्ति को उसी समय पुनः विक्रय के लिए रखा जाएगा और उसका पुनः विक्रय कर दिया जाएगा ।

6. क्रेता, विक्रय के दिन से एक कलैण्डर मास के भीतर, अपने क्रय धन की रकम (निक्षेप के रूप में संदत्त रकम की कटौती करने के पश्चात) का संदाय कार्यपालक अधिकारी को करेगा । यदि वह इस प्रकार संदत्त नहीं की जाती है, तो क्रेता अपने क्रय धन पर, विक्रय के दिन से एक कलैण्डर मास (या ऐसी लम्बी अवधि, जो अनुज्ञात की जाए) की समाप्ति से उस दिन तक जिसको उसका वस्तुतः संदाय कर दिया जाता है, 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का संदाय करेगा ।

7. पूर्वोक्त रीति से क्रय धन का संदाय करने पर, क्रेता उस सम्पत्ति के ऐसे भागों का जो खाली हैं) के कब्जे का और ऐसे संदाय के दिन से उन भागों के भाटक और उन से होने वाले लाभों का हकदार हो जाएगा ।

8. क्रेता, क्रय धन के संदाय के दिन से पूर्व के किन्हीं व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा और भाटक तथा व्यय यदि आवश्यक हुआ तो, क्रेता और कार्यपालक अधिकारी के बीच प्रभाजित किए जाएंगे । सम्पत्ति के लिए क्रय धन का संदाय कर दिए जाने पर, क्रेता अपने व्यय पर ऐसे कदम उठाएगा जो उक्त सम्पत्ति के क्रय या कब्जा करने के लिए आवश्यक हों और कार्यपालक अधिकारी उसे आशय का एक प्रमाण-पत्र देगा कि उसने वह सम्पत्ति क्रय की है जिससे यह प्रमाण-पत्र संबंधित है । ऐसे प्रमाणपत्र पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस क्रेता देगा ।

9. यह विश्वास किया जाता है कि सम्पत्ति का विवरण सही है और उसे सही समझा जाएगा । यदि सम्पत्ति की विशिष्टियों का विवरण में कोई गलती या अयथार्थ कथन या लोप किए जाने का पता चलेगा तो ऐसी गलती या अयथार्थ कथन या लोप से न तो विक्रय निष्प्रभाव होगा, न ही क्रेता को उनके क्रय से उन्मोचित किया जाएगा, और न ही उसकी बाबत क्रेता को कोई प्रतिकर दिया जाएगा ।

10. उक्त सम्पत्ति की बाबत सम्पत्ति कर राज्य सरकार को देय भू-राजस्व, यदि कोई हो, के पूर्व संदाय के अधीन रहते हुए उक्त सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होंगे ।

11. क्रेता से, विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति का हक प्रस्तुत करने या उसकी बाबत अन्वेषण करने या कोई आक्षेप या अध्यपेक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी बल्कि वह यह मानेगा कि सम्पत्ति के स्वामी को उक्त सम्पत्ति में उस समय वैध अधिकार और हक था ।

12. सम्पत्ति, विद्यमान अधिभोगियों और उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सभी अधिकारों और सुखाचारों, यदि कोई हों, और उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की सभी सूचनाओं के अधीन रहते हुए विक्रय की गई है । कार्यपालक अधिकारी को उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी ऐसे अधिकार या सुखाचार के बारे में पता नहीं है ।

13 उक्त सम्पत्ति, अग्नि या अन्यथा के बारे में क्रेता की जोखिम पर उसी क्षण से होगी जब उसकी बोली पक्ष में खत्म हो जाती है ।

14 यदि क्रेता ऊपर विनिर्दिष्ट समय पर या किसी ऐसे अन्य समय पर जो कार्यपालक अधिकारी नियत करे, अपने क्रय धन का संदाय नहीं करेगा, तो निक्षेप के रूप में संदत्त रकम बोर्ड को समपहृत हो जाएगी और कार्यपालक अधिकारी सम्पत्ति का पुनः विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

प्ररूप सं. 2

(बोली-पत्र का प्ररूप)

संदर्भ .... वाली सम्पत्ति का नीलामी विक्रय

वार्ड सं. ____________________

गली सं ____________________

स्थान ____________________

मैंने जिसका नाम इसमें इसके नीचे लिखा हुआ है, तारीख को नीलामी द्वारा विक्रय में अपना नाम के सामने लिखी गई राशि के लिए बोली लगाई और ऐसे विक्रय के समय प्रस्तुत की गई शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे विक्रय की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपयुक्त सम्पत्ति का क्रेता हो गया :

सबसे ऊंची बोली की रकम	प्राप्त निक्षेप की रकम	शोध्य रह गई रकम	क्रेता के हस्ताक्षर	क्रेता का पता और वर्णन
1	2	3	4	5

[फाइल संख्या 53/9 छा०/भू० तथा छा०/84/796/डी/क्यू एंड स/86)]

करतार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 25th February, 1986

S.R.O. 114.—The draft of certain rules which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 94-A of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), are hereby published as required by sub section (1) of the Section 280, of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person on the said draft within the period of sixty days specified will be considered by the Central Government.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "immovable property" means as defined in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882);

(d) words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. Commencement of proceeding of sale.—Where an immovable property has been attached by an order under section 94-A of the Act, the Executive Officer shall, on expiry of fifteen days from the date of attachment proceed to dispose of the immovable property attached by sale.

4. Sale to be by public auction.—Every sale of immovable property attached or sufficient portion thereof (if it is divisable) if the same can be conveniently severed shall be made by public auction by order of the Executive Officer. The decision whether an immovable property can be conveniently severed shall be made by the Executive Officer with the prior approval of the Board.

5. Notice of sale.—(1) A notice of every intended sale by public auction under these rules shall be published in such registered newspapers in circulation in the local areas, and as often as the Executive Officer shall direct, having regard to the nature and value of the property to be sold.

(2) The notice shall specify the date, time and place of sale and shall contain a description and particulars of the property.

6. Conditions of sale.—The Executive Officer shall fix a reserved bidding which shall not be divulged to any person either before, at or after the sale. Every sale shall be regulated by conditions which shall generally conform to those specified in Form 1. Any deviation therefrom shall be determined by the Board and duly approval by the Director. A copy of the notice and conditions of sale as Form I, shall be fixed on a conspicuous part of the property and upon a conspicuous part of the office of the Cantonment Board and also, when the property is land paying revenue to the Government, in the office of the Collector of the district in which the land is situate and at such other places as the Board may direct.

7. Postponement of sale.—If there be no bid or the highest bid be below the reserved price, the Executive Officer shall postpone the sale.

8. Deposit to be made forthwith.—If the amount to be deposited be not at once paid to or deposited with the Executive Officer, the bid of the person, who would otherwise have been declared to be purchaser, shall be rejected and the property shall immediately be again put up for sale.

9. When bid less than the reserved price can be accepted.—The Executive Officer may, for reasons to be recorded in writing, and subject to the prior approval of the Director accept a bid for less than the reserved price.

10. Application of sale proceeds.—The Executive Officer shall apply the proceeds of sale or such part thereof as shall be required in discharge of the sum due and of the costs of recovery. The fees, if any, for the sale and attachment of immovable property shall also be included in the costs of recovery.

11. Surplus amount how to be refunded.—The surplus, if any, shall be forthwith credited to the Cantonment Fund and the same be claimed by written application to the Executive Officer within six months from the date of sale and the refund thereof shall be made to the person in possession of the property at the time of the attachment and any surplus not claimed within six months as aforesaid shall be the property of the Board.

12. Suspension of warrant.—The Executive Officer may suspend or cancel the warrant, where he is satisfied that such suspension is warranted by the circumstances of the case or where the sum due and the costs of recovery have been paid by the defaulter as prescribed in section 94-A (4) of the Act.

13. Eviction from the property sold.—The Executive Officer may cause the eviction of any person who obstructs any action taken in pursuance of sub-section (5) of section 94-A of the Act from the immovable property by any police officer and may also use such force as is reasonably necessary to effect entry on the said property.

14. Fee to be charged.—For every warrant issued or attachment made, fees shall be charged at such rates not less than Rs. 500 and not more than Rs. 1,000 as the Board may, from time to time, specify with the sanction of the Central Government and such fees shall be included in the costs of recovery.

15. Remission of fee.—The Board may, in its discretion, remit the whole or part of any fee chargeable under rule 14.

16. Manner of preferring claim over property.—A person, other than the person liable for the payment of any tax, who has any claim in respect of a property attachment may prefer a claim in writing to the Executive Officer.

17. Suspension of execution.—The Executive Officer shall, on receipt of the claim suspend the execution of the warrant pending enquiry into the claim.

18. Manner of settlement.—(1) The Executive Officer shall furnish a copy of the claim to the person liable for the payment of any tax and at the same time give written notice calling upon him to submit his reply, if any, within seven days of service of such notice.

(2) The Executive Officer shall, on receipt of the reply, if any, and after giving both the parties an opportunity of being heard pass an order with regard to the claim which shall be final.

(3) At a hearing, the parties may represent in person or through a counsel.

(4) If the claim is allowed by the Executive Officer, the sale proceedings shall be subject to the order passed by him provided that the Executive Officer may, in his discretion, release the property from attachment instead of proceeding with the sale.

(5) If the Executive Officer rejects the claim, he shall proceed with the sale of the immovable property as provided for in the Act and under these rules.

(6) Nothing in the order of the Executive Officer accepting a claim shall be deemed to confer on the claimant any right, title or interest in the immovable property attached.

FORM NO. 1

CONDITIONS OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

1. The property shall be put up for sale at a sum to be fixed by the Executive Officer at the time of sale. The highest bidder shall be the purchaser. If any dispute arises as to the last or highest bidding for the property, the same shall be put up again at a former bidding and re-sold.

2. No person shall at any bidding advance a less sum than shall be fixed by the Executive Officer or retract a bid.

3. The sale is subject to a reserved bidding which will be fixed by the Executive Officer.

4. The purchaser shall at the time of sale subscribe his name and address to his bidding in the Bidding Paper and all written notices and communications shall be deemed duly delivered to and served upon the purchaser, by being left for him at such address unless or until he is represented by an Attorney or Advocate.

5. The purchaser shall at the time of sale pay a deposit of twenty-five per cent on the amount of his purchase money to the Executive Officer otherwise the property shall be again immediately put up and resold.

6. The purchaser shall pay the amount of his purchase money (after deducting the amount paid as a deposit) to the Executive Officer within one calendar month from the day of sale. If the same be not so paid, then the purchaser shall pay interest on his purchase money at the rate of six per cent per annum from the end of one calendar month from the day of sale (or such longer period as may be allowed) to the day in which the same is actually paid.

7. Upon payment of the purchase money in the manner aforesaid, the purchaser shall be entitled to possession of (such parts of) the property (as are vacant) and to the rents and profits of such parts as are let as from the day of such payment.

8. The purchaser shall not be liable to pay any outgoings previous to the day of a payment of the purchase money and rents and outgoings, shall be apportioned between the purchaser and the Executive Officer, if necessary. On the purchaser money for the property being paid the purchaser shall at his own expense takes such steps as may be necessary for the purchase of obtaining possession of the said property and the Executive Officer shall grant him a certificate to the effect that he has purchased the property to which the certificate relates. The stamp duty and registration fee on such certificate shall be borne by the purchaser.

9. The description of the property is believed to be correct and shall be taken as correct. If any error or mis-statement or omission shall appear to have been made in the particulars or description of the property, such error or mis-statement or omission shall not annul the sale nor entitle the purchaser to be discharged from his purchase, nor shall any compensation be made to be purchaser in respect thereof.

10. Property taxes in respect of the said property are a first charges on the said property subject to the prior payment of the land revenue, if any, due to the State Government.

11. The purchaser shall not require the production of or investigate into or make any objection or requisition in respect of the title of the property put up for sale but shall assume that the owner of the property had then good right and title to the said property.

12. The property is sold subject to existing tenancies and to all rights and easements, if any, affecting the same and subject to all notices of any kind releating to the said property. The Excutive Officer is not aware of any such right or easement affecting the said property.

13. The said property shall be at the risk as to fire or otherwise of the purchaser from the moment the same is knocked down to him.

14. If the purchaser shall not pay his purchased money at the time above specified or at other time which may be fixed by he Executive Officer, the amount paid as a deposit shall be forefeited to the Board and the Executive Officer shall be at liberty to re-sell the property.

FORM NO. 2

(Form of Bidding Paper)

Re : Auction sale of the property bearing——————
Ward No.——————————————
Street No.——————————————
Situate at——————————————

I, whose name is hereunder subscribed, bid at the sale by auction on the..... ..day of............ one thousand nine hundred and....................the sum set opposite to my name for, and became the purchaser of the above property specified in the notification of such sale, subject to the conditions produced at such sale :—

Amount of highest bidding	Amount of deposit received	Amount remaining due	Signature of the purchaser	Purchaser's address and description
1	2	3	4	5

[File No. 53/9/C/L&C/84/796/D(Q&C)/86]
KARTAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1986

का. नि. भा. 115 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना समूह "ग" (शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द) पद भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समूह "ग" (शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नौसेना समूह "ग" (शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द) पद भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में, —

(क) पोतप्रतिरक्षण शिक्षक, तैराकी शिक्षक, सिविलियन शिक्षा अनुदेशक, बिगुल शिक्षक, मुक्केबाजी शिक्षक के पदों से संबंधित क्रम. सं. 1 से 5 के सामने, स्तंभ 4 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अनौद्योगिक" ;

(ख) पोतप्रतिरक्षण शिक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ 10 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 1/प्रोन्नत/स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं" ;

(ग) तैराकी शिक्षक, सिविलियन शिक्षा अनुदेशक, बिगुल शिक्षक और मुक्केबाजी शिक्षक के पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 2 से 5 के सामने:—

(i) स्तंभ 10 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं",

(ii) स्तंभ 13 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

1. अध्यक्ष—कमांडर की पंक्ति का आफिसर या समतुल्य।
2. सदस्य—लेफ्टिनेंट कमांडर/लेफ्टिनेंट की पंक्ति के 2 आफिसर या समतुल्य"

[फा. सं. सी पी (एन जी)/2811]
एम. सी. जुनेजा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4, तारीख 30 जून, 1979 के पृष्ठ 229 से 231 पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का. नि. आ. 165, तारीख 19 जून, 1979 के रूप में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का. नि. आ. 4, तारीख 26 दिसम्बर, 1980 द्वारा जिसे भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4, तारीख 10 जनवरी, 1981 के पृ. 7 पर अधिसूचित किया गया था, संशोधन किया गया।

New Delhi, the 14th February, 1986

S.R.O. 115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Navy

Group 'C' (Instructional Staff) Posts Recruitment Rules, 1979, namely:—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Navy 'C' (Instructional Staff) Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Navy Group 'C' (Instructional Staff) Posts Recruitment Rules, 1979,—

(a) against serial numbers 1 to 5 relating to the posts Shipmodelling Instructor, Swimming Instructor, Civilian Educational Instructor, Bugler Instructor and Boxing Instructor, in columns 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

'General' Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial";

(b) against serial number 1 relating to the post of Shipmodelling Instructor, in column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Two years for direct recruits. No probation period for promotees/transferees";

(c) aganst serial numbers 2 to 5 relating to the posts of Swimming Instructor, Civilian Educational Instructor, Bugler Instructor and Boxing Instructor,—

(i) in column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"2 years for direct recruits. No probation period for transferees';

(ii) in column 13, for the existing entry, the following entry shall be substittued, namely :—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :

1. Chairman—Officer of the rank of Commander or equivalent.

2. Members—2 Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent.".

[File No. CP(NG)/2811]

M. C. JUNEJA Under Secy.

NOTE : The principle rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated 30 June, 1979 as notification of the Government of India in the Ministry of Defence SRO 165 dated 19th June, 1979, on pages 232 to 234 and subsequently amended by notification of the Government of India in the Ministry of Defence SRO 4 dated 26th December, 1980, notified in the Gazette of India, Part II, Section 4 dated 10th January, 1981, on page 7.

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1986

का. नि. आ. 116 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तटरक्षक समूह "ख" (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1980 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक समूह "ख" (अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तटरक्षक समूह "ख" (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1980 की अनुसूची में,—

(1) बढ़ई के पद के सामने, स्तंभ 9 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कुछ नहीं";

(2) चपरासी के पद के सामने, स्तंभ 9 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सीधी भर्ती की दशा में दो वर्ष" ;

(3) सफाईवाला के पद के सामने, स्तंभ 9 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सीधी भर्ती की दशा में दो वर्ष।"

[फा. सं. सी. पी./10113(जि. 5)]

एन. सी. एस. नेगी, डेस्क अधिकारी

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 तारीख 27 सितम्बर, 1980 के पृ. 338 से 339 में रक्षा मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. का. नि. आ. 278 तारीख 15 सितम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 12th February, 1986

S.R.O. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Coast Guard Group 'D' (Non-gazeted posts) Recruitment Rules, 1980, namely:—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Coast Guard Group 'D' (Non-gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazttee.

2. In the Schedule to the Coast Guard Group 'D' (non-gazetted posts) Recruitment Rules, 1980,—

(i) against the post of Daftry, under column 9, for existng entry, the following shall be substituted, namely:—

"Nil";

(ii) agains the post of Peon, under column 9, for the existing entry, the following shall be substitued, namely :—

"Two years in the case of direct recruitment";

(iii) against the post of Safaiwala, under column 9, for existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Two years in the case of direct recruitment."

[File No. CP/0113(Vol. V)]

N.C. S. NEGI, Desk Officer.

NOTE : The Principle Rules were published in the Gazette of India, Part II—Section 4 dated the 27th September, 1980 at pages 338 to 339 vide Government notification, Ministry of Defence S.R.O. 278 dated the 15th September, 1980.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986